स्थायी वित्त निर्देश 19/2025

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 1708/सम./ब–4/चार/2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16.05.2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः– नवीन मद के प्रस्तावों को बजट में ''परीक्षित नवीन मद'' के रूप में शामिल किये जाने एवं इनकी प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया।

––00––

राज्य शासन द्वारा किसी व्यय को नई सेवा या सेवा के नये साधन के रूप में अर्थात् नवीन मद के रूप में माने जाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश क्र. 4580/F–2019–0404891/B–4/Four दिनांक 31 दिसंबर 2024, (स्थायी वित्त निर्देश 09/2024) द्वारा वित्तीय सीमाओं का निर्धारण किया गया है। नवीन मद के अंतर्गत आने वाले कार्यो/योजनाओं में होने वाले व्यय को बजट में विशिष्ट रूप से शामिल किये बिना अर्थात् विधानसभा की जानकारी में लाये बिना खर्च नहीं किया जा सकता। नवीन मद में आने वाले कार्य/योजनाएं बजट में परीक्षित अथवा अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किये जाते हैं। परीक्षित मद से तात्पर्य ऐसी नवीन कार्यो/योजनाओं से है, जिन्हें वार्षिक बजट में शामिल करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा कार्य/योजना की लागत, वित्तीय भार आदि का सूक्ष्म परीक्षण किया गया हो।

2/ राज्य शासन द्वारा "परीक्षित नवीन मद" एवं "अपरीक्षित नवीन मद" के प्रकरणों की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा विकेन्द्रीकरण किया गया है। "अपरीक्षित नवीन मद" के रूप में शामिल प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–1, 2024 के खण्ड–दो "बजटीय मामले" अंतर्गत सरल क्रमांक 2.3 में प्रशासकीय विभाग (इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर) को राशि रूपये 5 करोड़ वित्तीय प्रत्यायोजन की सीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार **"परीक्षित नवीन मद" के रूप में शामिल प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–1, 2024 के खण्ड–दो "बजटीय मामले" अंतर्गत सरल क्रमांक 2.2 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रशासकीय विभाग को पूर्ण अधिकार एवं राशि रूपये 2 करोड़ तक के अधिकार विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित किये गये है।**

3/ प्रतिवर्ष विभिन्न विभागों के बजट में नवीन मदों को शामिल करने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए बजट कार्यक्रम एवं स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं, जिसके अनुसार यह निर्देशित किया जाता रहा है कि बजट में नवीन मद के प्रस्तावों को सूक्ष्म परीक्षित (Scrutinized) मद के रूप में शामिल किया जाये तथा अपरीक्षित नवीन मद के रूप में प्रस्ताव यथा संभव बजट में शामिल नही किये जायें। परन्तु विभिन्न विभागों द्वारा बजट निर्माण के अंतिम चरण में नवीन योजनाओं एवं नवीन मद के प्रस्तावों को अपरिहार्य बताकर 'अपरीक्षित नवीन मद' के रूप में प्रस्ताव शामिल कराये जाते हैं। बजट पारित होने के उपरांत अपरीक्षित नवीन मद के कार्यों/योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति आदि में विलंब होने के फलस्वरूप उस वित्तीय वर्ष में नवीन मद में प्रस्तावित कार्य का क्रियान्वयन नहीं हो पाता व नवीन मद के रूप में प्रावधानित बजट का उपयोग नहीं हो पाता है। इसके अलावा अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल कार्यो को बिना किसी परीक्षण/सर्वेक्षण के बजट में शामिल कराये जाने से बजट में कार्यो/योजनाओं की अनुमानित लागत एवं वित्तीय भार सही नहीं होने से नवीन सृजित होने वाले वित्तीय दायित्वों का सही आंकलन नही हो पाता है।

4/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि बजट में नवीन मद के प्रस्तावों को यथा संभव परीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया जाये। विभागों द्वारा परीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किये जाने वाले कार्यो/योजनाओं की प्राथमिकता तय करते हुए, ऐसे कार्यो/योजनाओं का प्राक्कलन/प्रस्ताव आदि तैयार कर तथा **आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल किये जाने हेतु प्रशासकीय अनुमोदन** प्राप्त कर वित्त विभाग से दिसंबर माह तक सहमति प्राप्त कर ली जाये, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में नवीन मद के प्रस्ताव अधिकांशतः परीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल हो सकें व कार्यों/योजनाओं का बजट वर्ष में पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन करते हुए प्रावधानित व्यय का समुचित उपयोग किया जा सकें। किसी नवीन योजना को परीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किये जाने हेतु परिशिष्ट–1 अनुसार जानकारी ऐसे प्रस्तावों के साथ अनिवार्यतः संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये।

5/ लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग हेतु परीक्षित नवीन मद के रूप में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल किये जाने हेतु कार्यो के प्रशासकीय स्वीकृति राशि की सीमा राज्य की वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रतिवर्ष पृथक से निर्धारित की जाएगी।

6/ उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीगसढ़ शासन वित्त विभाग

परीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित नवीन योजना की जानकारी

(अ) सामान्य जानकारी –

1. योजना / मद का नाम

2. योजना का उद्देश्य

3. समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या विभाग में कोई दूसरी योजना अथवा विभाग की जानकारी के अनुसार अन्य विभाग में दूसरी योजना अथवा भारत सरकार की सहायता से चलायी जाने वाली दूसरी योजना उपलब्ध है ? यदि हो तो पूर्ण ब्यौरा देने का कष्ट करें ।

4. प्रस्तुत योजना के प्रारंभ करने के फलस्वरूप यदि कोई दूसरी योजना समाप्त / समर्पित की जानी हो तो उसका विवरण तथा बचत की राशि का विवरण दिया जाये ।

5. यदि योजना राज्य शासन द्वारा घोषित नीति कार्ययोजना के अनुरूप हो तो राज्य शासन की नीति / कार्ययोजना की प्रति छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ब) योजना का वित्तीय पोषण (व्यय भार) –

6. योजना का वित्तीय पोषण केन्द्र शासन, बाह्य संस्था / एजेन्सी, अन्य एजेन्सी से होगा अथवा राज्य की निधि से होगा।

7. योजना पूर्ण होने की अवधि ।

8. योजना के संचालन के लिये प्रतिवर्ष हेतु आवश्यक राशि (आवर्ती एवं अनावर्ती) वर्षवार बतायी जाये।

9. योजना के संचालन हेतु अतिरिक्त अमले की आवश्यकता हो तो उसका पूर्ण ब्यौरा दिया जाये । (प्रतिनियुक्ति के पदों के मामले में मूल विभाग द्वारा अमला सौपे जाने तथा अतिरिक्त अमला की मांग न किये जाने विषयक अभिमत संलग्न करना अनिवार्य होगा)

(स) परिणामी जानकारी –

10. योजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों / जनसंख्या की जानकारी / हितग्राहियो की संख्या ।

11. योजना से होने वाले लाभ के विकास संकेतक (यदि हो तो)

    राष्ट्रीय औसत

    राज्य का औसत

    संबंधित जिले विकासखंड का औसत

12. योजना के लाभ के पर्यवेक्षण (Monitoring) हेतु परिमापात्मक संकेतक (Quantifiable deliverables) का उल्लेख करें ।

(द) अन्य जानकारी –

13. योजना के लिए सामान्य क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना में राशि का प्रतिशत क्या होगा ?

पृ.क्रमांक 1709/सम./ब–4/चार/2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/05/2025

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग नवा रायपुर अटल नगर/रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9 आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
12. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखाएँ वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
14. संचालक, कोष एवं लेखा/पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
15. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर.
18. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
19 समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट **finance.cg.gov.in** में अपलोड करने हेतु

(राजीव कुमार झाड़े)
अवर सचिव